राजस्व लोक अदालत अभियान : न्याय आपके द्वार – 2018
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ
पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गाप्रसाद मीना आर.ए.एस.
कैम्प ग्राम पंचायत नवलडी

राजस्व वाद संख्या 113/2017

1. श्रीराम
2. शीशराम
3. शिवनाथ
4. प्यारेलाल पुत्रान पालाराम जाति जाट निवासीगण ग्राम नवलडी तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू

–वादीगण

बनाम

1. सुभाष
2. मोहरसिंह पुत्रान रामेश्वर जाति जाट निवासीगण नवलडी तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू
3. शाखा प्रबंधक एसबीबीजे शाखा नवलगढ तहसील नवलगढ
4. भूमि धारक लैण्ड होल्डर जरियें तहसीलदार, नवलगढ तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू

–प्रतिवादीगण

दावाः घोषणार्थ, रिकार्ड दुरुस्ती
निर्णय

निर्णय तिथि 15.06.2018

वादीगण द्वारा वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम नवलडी की सरहद में स्थित भूमि ख.न. पुराने 140/2 जिसके नये ख.न. 729 इसके पश्चात वर्तमान नये ख.न. 852 रकबा 0.70 है0 स्थित है। उपरोक्त भूमि रामेश्वर पुत्र नोला की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि थी। इनकी मृत्यु के पश्चात भूमि की खातेदारी इनके पुत्र प्रतिवादी नं. 1 व 2 के नाम दर्ज हुई तथा वर्तमान में भूमि ख.न. 852/0.70 है0 की खातेदारी प्रतिवादी नं. 1 व 2 के नाम से दर्ज रिकार्ड है। उपरोक्त भूमि में से रामेश्वर पुत्र नोला जाति जाट निवासी नवलडी ने दिनांक 20.01.1976 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र उप पंजियक कार्यालय उदयपुरवाटी में वादीगण के पिता पालाराम पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी नवलडी के पक्ष में भूमि ख.न. पुराने 140/2 में से 1 बीघा 17 बिश्वा पुख्ता भूमि यानि रकबा 0.467128 है0 भूमि का तस्दीक करवा दिया। तबसे वादीगण के पिता का कब्जा चला आ रहा है। वादीगण के पिता की मृत्यु के पश्चात वादीगण ही उपरोक्त भूमि को काश्त करते आ रहे हैं। वादीगण के पिता अनपढ व्यक्ति थे उक्त विक्रय पत्र का ज्ञान नही होने की वजह से राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद नही करकया जा सका। इसके पश्चात वादीगण के पिता का देहान्त हो चुका है। भूमि नये ख.न. पुराने ख.न. 140/2 जिसके वर्तमान नये ख.न. 852/0.70 है0 में प्रतिवादीगण नं. 1 व 2 के नाम से राजस्व रिकार्ड दर्ज चला आ रहा है। जबकि विक्रय पत्र के आधार पर नियमानुसार उपरोक्त भूमि में 1 बीघा 17 बिश्वा पुख्ता भूमि यानि रकबा 0.467128 है0 हिस्से की खातेदारी वादीगण के नाम से दर्ज होनी चाहिये थी। उक्त राजस्व रिकार्ड गलत होने से वादीगण को सख्त हक तलफी पैदा हो रही है। हालांकि उक्त गलत राजस्व रिकार्ड से वादीगण के कब्जे काश्त में फर्क नही पडता परन्तु गलत रिकार्ड दर्ज होने से भविष्य में वादीगण को क्षति हो सकती है। प्रतिवादीगण उक्त गलत राजस्व रिकार्ड का गलत दुरूपयोग कर भूमि का हस्तानान्तरण कर सकते हैं जबकि उपरोक्त भूमि के संबंध में प्रतिवादी नं. 1 व 2 को विक्रय पत्र के आधार पर कोई हक अधिकार नही है परन्तु उक्त गलत राजस्व रिकार्ड वादीगण के अधिकारो के खिलाफ होने से शून्य है। इसलिये वादीगण को अपने हक व अधिकार के लिये दावा घोषणार्थ रिकार्ड दुरुस्ती प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। राजस्व रिकार्ड की नकल लेने पर पता चला कि वादीगण के पिता पालाराम पुत्र सुरजाराम के द्वारा दिनांक 20.01.1976 को रामेश्वर पुत्र नोला जाति जाट निवासी नवलडी से उसका विवादग्रस्त भूमि में 1 बीघा 17 बिश्वा कय किया गया उसका राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज नही होन से बैंक ने लोन देने से इन्कार कर दिया तथा कहा कि उक्त भूमि मे 1/2 हिस्से मे मोहरसिह पुत्र रामेश्वर ने ऋण ले रखा हैं इसलिये वादीगण को अपने अधिकार की रक्षार्थ हेतु वाद प्रस्तुत है।

अतः वाद बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण इस आशय की डिकी फरमाई जावे कि ग्राम नवलडी में वर्तमान भूमि ख.न. 852 रकबा 0.70 है0 में से 1 बीघा 17 बिश्वा पुख्ता भूमि यानि रकबा 0.467128 है0 मुताबिक विक्रय पत्र के आधार पर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे एवं रिकार्ड में दुरूस्ती की जाकर वर्तमान ख.न. 852 रकबा 0.70 है0 भूमि में से 1 बीघा 17 बिश्वा यानि रकबा 0.467128 है0 में से प्रतिवादीगण नं. 1 व 2 का नाम हटाया जाकर मुताबिक विक्रय पत्र के आधार पर एवं कब्जे काश्त के आधार पर वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने हेतु तहसीलदार नवलगढ को निर्देशित किया जावे तथा ख.न. 852 रकबा 0.70 है0 मुताबिक विक्रय पत्र के आधार पर यानि 1 बीघा 17 बिश्वा पुख्ता भूमि यानि रकबा 0.467128 है0 भूमि का रहन हटाया जावे इसके लिये प्रतिवादी नं. 2 को उतरदायी ठहराया जावे।

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज पंजिका किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादीगण नं. 3 व 4 बावजूद नोटिस तामील के उपस्थित न्यायालय नही होने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादीगण नं. 1 व 2 की और से श्री विजेन्द्रसिंह दूत का वकालतनामा पेश हुआ।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत शिविर ग्रा.पंचायत नवलडी में पेश हुई। प्रतिवादीगण द्वारा जबाबदावा पेश न कर पक्षकारान के मध्य राजीनामा होने का कथन किया तथा पक्षकारान द्वारा राजीनामा पेश किया। प्रस्तुत राजीनामा में पक्षकारान द्वारा वर्णित किया गया कि राजस्व ग्राम नवलडी की सरहद में प्रश्नगत कृषि भूमि पुराने ख.न. 140/2 जिसके नये ख.न. 852/0.70 है0 स्थित है जो प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 के पिता स्व0 रामेश्वर की खातेदारी व कब्जे काश्त की थी जिससे प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 के पिता ने वादीगण के पिता पालाराम को 1 बीघा 17 बिश्वा पुख्ता यानि रकबा 0.46 है0 भूमि का बेचान किया है जिसके मुताबिक प्रश्नगत कृषि भूमि पर मुताबिक विक्रय पत्र के 0.46 है0 भूमि पश्चिमी तरफ वादीगण का कब्जा काश्त है और शेष भूमि रकबा 0.24 है0 पूर्वी तरफ पर प्रतिवादीगण नं. 1 व 2 सुभाष व मोहरसिह का कब्जा काश्त व स्वामीत्व है। इसी प्रकार से वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 1 व 2 काबिज व आबाद है तथा पक्षकारान लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा कर रहे हैं। जिसके मुताबिक प्रश्नगत कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज की जाकर राजस्व रिकार्ड सही व दुरूस्त किया जावे।

राजीनामा पेश होने उपस्थित पक्षकारान व वकील पक्षकारान को सुना गया व प्रस्तुत राजीनामा तस्दीक किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। नकल जमाबंदी ग्राम नवलडी तहसील उदयपुरवाटी संवत 2012 से 2015 के अनुसार भूमि ख.न. 16 रकबा 16 बीघा 7 बिश्वा ख.न. 367 रकबा 18 बीघा 15 बिश्वा, ख.न. 490 रकबा 2 बीघा 4 बिश्वा व ख.न. 140/2 रकबा 7 बीघा 9 बिश्वा किता 4 कुल रकबा 39 बीघा 15 बिश्वा की खातेदारी रामेश्वर पुत्र नोला कोम जाट सा.देह दर्ज है। उक्त ग्राम की ही जमाबंदी संवत 2026 से 2030 के ख.न. 367 रकबा 18बीघा 15 बिश्वा, ख.न. 490 रकबा 2 बीघा 4 बिश्वा, ख.न. 140/2 रकबा 7 बीघा 9 बिश्वा कि खातेदारी रामेश्वर पुत्र नोला कोम जाट के नाम दर्ज है। सलग्न मिलान क्षैत्रफल ग्राम नवलडी तस्दीक वर्ष 1985 के अनुसार साबिक ख.न. 367मी से ख.न. 51/0.03, 52/0.02, 53/4.69 व 140/2 से 729/0.70 है0 बनना प्रमाणित है। नकल मिलान क्षैत्रफल संवत 2045 से 2048 अनुसार ग्राम नवलडी के पुराना ख.न. 51 से हाल ख.न. 53/0.03, 52 से हाल ख.न. 54/0.02, 53 से हाल ख.न. 55/4.69 व 729 से हाल ख.न. 852/0.70 है0 बनना प्रमाणित है। जमाबंदी ग्राम नवलडी संवत 2069 से 2072 के अनुसार भूमि ख.न. 53/0.03, 54/0.02, 55/4.69 व 852/0.70 किता 4 कुल रकबा 5.44 है0 की खातेदारी सुभाष मोहरसिह पिता रामेश्वर जाति जाट सा.दे.,खातेदार राहिन मोहरसिंह का हिस्सा 1/2 एसबीबीजे नवलगढ मूर्तहीन दर्ज रिकार्ड है। पत्रावली में सलग्न बिचौती पत्र दिनांक 21.01.1976 अनुसार ग्राम नवलडी के ख.न. 140/2 रकबा 7 बीघा 9 बिश्वा में से हिस्सा 1/4 की कुल भूमि 1 बीघा 17 बिश्वा पुख्ता का विक्रय पालाराम पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी ग्राम नवलडी को किया जाना अंकित किया है। उक्त समस्त रिकार्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि तात्कालीन विक्रय पत्र दिनांक 21.01.1976 जो गत ख.न. 140/2 रकबा 7 बीघा 9 बिश्वा में से वादीगण के पिता द्वारा व प्रतिवादीगण के पिता को 1 बीघा 17 बिश्वा का निष्पादित किया गया था, का अंकन तात्कालीन जमाबंदी में होने से छूट गया है। पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा 1 बीघा 17 बिश्वा भूमि अर्थात 0.46 है0 भूमि को वादीगण के नाम दर्ज किये जाने हेतु सहमति प्रदान की गई है। अतः वादीगण का वाद न्यायोचित होने के कारण स्वीकार योग्य है।

आदेश

वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है। ग्राम नवलडी के ख.न. 852 रकबा 0.70 है0 में से मुताबिक राजीनामा 0.46 है0 भूमि पश्चिमी तरफ का वादीगण को और शेष भूमि रकबा 0.24 है0 पूर्वी तरफ

का प्रतिवादीगण नं. 1 व 2 सुभाष व मोहरसिह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक घोषित खातेदारी का राजस्व रिकार्ड में अमल दरादम किया जावे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील कार्यवाही जाप्ता दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 15.06.2018 को मजमे शिविर ग्राम पंचायत नवलडी में सुनाया गया।

(दुर्गा प्रसाद मीना)
उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ

राजस्व लोक अदालत अभियान – 2018
(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी नवलगढ
पीठासीन अधिकारी दुर्गा प्रसाद मीना (आर0ए0एस0)

वाद घोषणार्थ, रिकार्ड दुरूस्ती

मुकदमा सं0:– 113/2017 (श्रीराम आदि बनाम सुभाष आदि)

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू दुर्गा प्रसाद मीना (आर0ए0एस0), उपखण्ड अधिकारी, नवलगढ बहाजिरी...वकील. वादीगण मिनजानिब मुद्दई –वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक 15.06.2018 निर्णय अनुसार वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है। ग्राम नवलडी के ख.न. 852 रकबा 0.70 है0 में से मुताबिक राजीनामा 0.46 है0 भूमि पश्चिमी तरफ का वादीगण को और शेष भूमि रकबा 0.24 है0 पूर्वी तरफ का प्रतिवादीगण नं. 1 व 2 सुभाष व मोहरसिह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ को आदेशित किया जाता है कि मुताबिक घोषित खातेदारी का राजस्व रिकार्ड में अमल दरादम किया जावे।

जिन..........–.................. मुबलिग..........–...........बाबत.....–...............खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह.. ....–.......................फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....–............का अदा करे।

बसक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख. 15 माह 06 सन.2018. को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी नवलगढ
मोहर

.मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
.स्टाम्प अर्जी दावा	03.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	1.00	स्टाम्प वकालतनामा	1.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	04.00	मुतफरिक मिजान	0.00